न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1274–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–4–17 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 18/अपील/14–15.

कालूराम आत्मज स्व. हरिसिंह
निवासी ग्राम गेहूंखेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती राजश्री राजपूत पति विजयसिंह
निवासी ई–52, राजहर्ष कॉलौनी, कोलार रोड,
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदिका

श्री बी.यू. खान, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती शशि वर्मा, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 3/1/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–4–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के आदेश दिनांक 3–5–14 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 18/अपील/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–4–17 को आदेश पारित

कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रचलित वाद कमांक आर.सी.एस. 1072–ए/2014 में चाहा गया अनुतोष एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील तथा मूल आवेदन पत्र का अनुतोष एक ही होने से राजस्व न्यायालय को कार्यवाही स्थगित करना चाहिए, यही विधि की मन्शा है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में अनावेदिका द्वारा ही वाद प्रस्तुत किया गया है और व्यवहार न्यायालय में लम्बित वाद एवं अपील की विषय–वस्तु एक ही है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में कार्यवाही स्थगित करना चाहिए थी । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है, इस कारण भी आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक आर.सी.एस. 1072ए/2014 में आवेदक को आदेशित किया गया है कि वह प्रश्नाधीन भूमि में हस्तक्षेप नहीं करे और राजस्व न्यायालय की कार्यवाही पर कोई स्थगन नहीं दिया गया है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(2) आवेदक द्वारा मूल तथ्यों को तोड़–मरोड़कर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि उनके समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण की कार्यवाही को व्यवहार न्यायालय द्वारा न तो स्थगित किया गया है और न ही ऐसे कोई निर्देश दिये गये हैं, जिसके प्रकाश

में कार्यवाही स्थगित की जाये । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–4–17 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर